

PVCS की सदस्यता हेतु ऑनलाईन (online) आवेदन की प्रक्रिया।

PVCS में सदस्यता प्राप्त करने हेतु त्वरित कार्टवाई तथा पारदर्शिता के दृष्टिकोण से एक Software application विकसित किया गया है। इस Software application का प्रयोग कर इच्छुक व्यक्ति PVCS की सदस्यता हेतु आवेदन online कर सकते हैं।

PVCS में ऑनलाईन सदस्य बनने हेतु प्रक्रिया।

- A ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदक के पास वैध पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र (आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, निर्वाचक पहचान पत्र, स्वास्थ्य कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक, आवासीय प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक) स्वयं का हस्ताक्षर तथा अनुशंसा करने वाले दो सदस्यों का हस्ताक्षर का स्कैन कॉपी (50 KB से कम) होना आवश्यक है।
- B किसी PVCS का सदस्य बनने के लिए आवेदक को इस **Software** पर सर्वप्रथम निबंधन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी-
 1. आवेदक सर्वप्रथम <http://tarkaari.in> पर जाकर **Farmer Registration** पर क्लिक करेंगे।
 2. **Farmer Registration** पर क्लिक करने से वेबसाइट पर बिन्दुवार घोषणा-पत्र प्रदर्शित होगा जिसे **Select** कर **Next** बटन पर क्लिक किया जाएगा।
 3. **Next** बटन पर क्लिक करते हुए सिस्टम पर **DBT** नामांकन संख्या दर्ज करने हेतु **Text Box** प्रदर्शित होगा।
 4. **Submit** बटन क्लिक होते ही आवेदक को एक **User ID** एवं Password आवंटित होगा। यह **User ID** एवं **Password** आवेदक के मोबाईल पर भी सम्प्रेषित हो जाएगा। आवेदक इसका **Print** भी निकाल सकता है।
 5. उपरोक्त प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदक **Click here to continue** बटन पर **Click** करेगा।
 6. आवेदक आवंटित **User ID** एवं **Password** तथा प्रदर्शित कोड डालकर **Login** पर **Click** करेगा।
 7. सिस्टम पर सदस्यता आवेदन का प्रपत्र प्रदर्शित होगा जिसे आवेदक द्वारा पूरी वैध सूचना के साथ भरते हुए **Submit** बटन क्लिक किया जाएगा।
 8. आवेदक को मनोनीत/अनुशंसा संबंधित विवरणी दर्ज कर **Submit** बटन क्लिक किया जाएगा।
 9. आवेदक को प्रदर्शित निर्देश के अनुसार अपना फोटो, हस्ताक्षर तथा वैध प्रमाण-पत्रों की स्कैन कॉपी **Upload** करते हुए **Submit** बटन पर **Click** करेंगे।
 10. तत्पश्चात वेबसाइट पर आवेदक को भूमि एवं सब्जी उत्पादन संबंधी विवरणी भरना होगा।
 11. वेबसाइट पर चेक लिस्ट के साथ पांच चारणों PVCS की सदस्यता हेतु आवेदक पत्र प्रदर्शित होगा। आवेदक पूर्ण रूप से भरे आवेदन तथा घोषणा पत्र का प्रिंट निकाल कर अपना हस्ताक्षर करेंगे एवं संबंधित सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ कार्यालय में जमा करेंगे।
 12. आवेदक द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन पत्र संबंधित सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ / सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से PVCS को हस्तांतरित किया जाएगा।
 13. सोसाईटी की प्रबंध समिति उस आवेदन पर विचार करेगी और प्रबंध समिति का निर्णय आवेदक को आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर संसूचित किया जाएगा।

14. PVCs के द्वारा आवेदन की स्वीकृत की स्थिति में आवेदक को बैंक में प्रवेश शुल्क तथा शेयर शुल्क जमा करने के लिये **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा।
15. PVCs के द्वारा आवेदन की अस्वीकृत की स्थिति में उसके कारण भी दिये जायेंगे।
16. वह व्यक्ति जिसकी सदस्यता के आवेदन पत्र को प्रबंध समिति ने नामंजूर कर दिया हो वह निर्णय की संसूचना से 60 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
17. आवेदक अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने हेतु **tarkaari.in** पर जाकर **farmer registration** पर **Click** करेंगे तत्पश्चात अपना मोबाईल नम्बर डालने पर मोबाईल पर प्राप्त **OTP** को डालकर **Login** करेंगे। तदोपरांत **Application Status** में जाकर अपने आवेदन की अस्वीकृति के कारण जान सकते हैं तथा अस्वीकृति के विरुद्ध अपील बटन पर **Click** कर अपील कर सकते हैं।
18. अगर उपरोक्त अवधि में आवेदक को कोई भी निर्णय संसूचित नहीं किया जायेगा तो यह मान लिया जायेगा कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और आवेदक को सोसाइटी की सदस्यता में ले लिया गया है।
19. आवेदन की स्वतः स्वीकृत की स्थिति में आवेदक को बैंक में प्रवेश शुल्क तथा शेयर शुल्क जमा करने के लिये **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा।
20. PVCs के द्वारा 15 दिनों के अंदर आवेदक के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर आवेदन को संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को जांच के लिये अधिकृत किया जाएगा।
21. जाँचोपरांत आवेदक का आवेदन नियमानुकूल पाये जाने पर संबंधित सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी सदस्यता हेतु आदेश निर्गत करते हुए आवेदक को बैंक में प्रवेश शुल्क तथा शेयर शुल्क जमा करने के लिये **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा।
22. सब्जी उत्पादक किसान PVCs में सदस्यता हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया वसुधा केन्द्र के माध्यम से 10/- रु0 (**GST/TAX** अतिरिक्त) का भुगतान कर पूरी कर सकते हैं। प्रखंड में सहकारिता विभाग के अधीन कार्यरत कार्यपालक सहायकों के माध्यम से PVCs में सदस्यता हेतु ऑनलाईन आवेदन की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है।



हर थाली में
बिहारी तरकारी

ऑनलाइन ऑर्डर के लिए सम्पर्क करें
<http://tarkaarimart.in>

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

